न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 18/2017

प्रार्थी :–

1. श्रवणराम पुत्र नारायणराम
जाति–जाट, निवासी–लूणसरा, तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. भूराराम पुत्र नारायणराम
2. बुधाराम पुत्र निम्बाराम
जातियान–जाट निवासीगण–लूणसरा, तहसील–जायल जिला–नागौर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

1. अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री मुकेश बिड़ीयासर अप्रार्थी सं. 1 व 2
3. अप्रार्थी संख्या 3 उपस्थित।

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 173 रकबा 22.06 बीघा मौजा–लूणसरा तहसील–जायल में आया हुआ है। उक्त खेताय के पश्चिमी तरफ खसरा नं. 174/1456 रकबा 12 बीघा अप्रार्थी बुधाराम, खसरा नं. 175/1443 अप्रार्थी भूराराम की खातेदारी के आये हुये है। खसरा नं. 175/1443 के पश्चिमी तरफ कटाणी रास्ता लगता है। खसरा नं. 173 में प्रवेश हेतु खसरा नं. 174/1456, 175/1473 में से मार्क ए से बी एवं सी से डी रास्ता 16 फुट चौड़ाई के रास्ते से ही प्रार्थी अपने खेत में आते जाते रहे है। परन्तु अप्रार्थीगण व उनके परिवार वाले रास्ता में आने–जाने बाबत् रूकावट पैदा कर रहे है, जबकि प्रार्थीगण पीढ़ियों से उक्त रास्ते से अपने खेत में आते जाते व गाड़ी छकड़ी, ट्रेक्टर, पशुधन इत्यादि लाते व ले जाते रहे है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता पर पक्का निर्माण, बैचान करने एवं बंद करने की धमकियां दे रहे है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य परस्पर सहमति से तय नहीं होने के कारण तथा प्रार्थी के खेत खसरा नं.

09/07/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

173 में प्रवेश हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने व कृषि कार्य के लिए आने जाने तथा आवश्यक कृषि संसाधन यथा—ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाने व ले जाने के लिए रास्ते की आत्यान्तकि आवश्यकता होने पर प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसके खातेदारी के खेत में कृषि कार्य हेतु आने जाने नहीं देगें तो अपार नुक्सान होगा, क्योंकि प्रार्थी यदि काश्त नहीं करेगें तो भूखे मर जायेगें। जिसकी भरपाई भी नहीं होगी। अतः प्रार्थी को खातेदारी खेत खसरा नं. 173 में प्रवेश हेतु माफिक नजरी नक्शानुसार 16 फीट मार्क ए से बी एवं सी से डी चौड़ाई का रास्ता स्वीकार किया जावे। उक्त रास्ते के एवज में नियमानुसार प्रतिकर राशि डीएलसी दर के अनुसार प्रार्थी अप्रार्थी को भुगतान करने में सहमत है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 को जरिये सम्मन तलब किया गया, तथा अप्रार्थी संख्या 3 को हस्तगत प्रकरण में बिन्दूवार मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई, जिसकी पालना में मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक भू.अ. /2020/1566 दिनांक 29.06.2020 के प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रामनारायण चौधरी, श्री मुकेश कुमार बिड़ीयासर ने वकालातनामा व जवाब प्रार्थना पत्र/आपत्तिया पेश की। जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दिलाई गई।

प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार जायल से दिनांक 29.06.2020 के प्राप्त हुई मौका रिपोर्ट में तहसीलदार जायल ने बताया कि प्रार्थी वर्तमान में अपने खेत में अन्य खेतो में से गुजर कर आता जाता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/वांछित रास्त पर पक्की पट्टियां रोपी कर कच्चा निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते में खसरा नं. 175/1443 में से 0.12 बीघा भूमि, खसरा नं. 174/1456 में से 0.08 बीघा रकबा उपभोग में आयेगा। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है। प्रार्थी व अप्रार्थी मौके पर राजी है तथा रास्ते को लेकर आने जाने में किसी प्रकार का विवाद नहीं है।

अप्रार्थी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र/आपत्तियों में बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित पंक्ति 7 से 10 माफिक रास्ता पीढियों से होने का कथन किया है, यानि चिरभोगसिद्ध क्षेत्राधिकार का प्रकरण होना स्वीकार है जो वाद सिविल न्यायालय का अधिकार का है। प्रार्थी एक तरफ रास्ता की मांग करता है तथा दूसरी तरफ रास्ता की मांग धारा 251क के तहत करता है जो तर्क संगत नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते से कभी भी नहीं निकले है क्योंकि खसरा नं. 175/1443 के दक्षिणी माठ पर करीब 600 फुट लम्बी पत्थरों की दीवार है जो 5–6 फुट उंची है

09/02/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

तथा खसरा नं. 175/1443 रकबा 4.12 बीघा के पश्चिमी दक्षिणी कोने पर अप्रार्थी भूराराम का पक्का मकान व बाड़ा मौजूद है, जो मकान व बाड़ा एक चार दीवारी से घिरे हुये है जिस बाड़ा व मकान के पूर्व दिशा में बुधाराम के रकबे तक पक्की दीवार है। खसरा नं. 175/1443 के खातेदार से साजिश कर अप्रार्थी भुराराम के मकान को तुड़ाने की धमकी का सहारा लेकर अप्रार्थी मात्र परेशान व भयभीत करने तथा डराकर खेत खरीदने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। पूर्व में रास्ता खसरा नं. 176 मे से चलता था जो रास्ता किशनलाल सोनी ने बंद कर दिया है अप्रार्थी के मकान के अलावा खसरा नं. 175/1443 में 30 गुणा 32 फीट का बड़ा कमरा, टांका तथा अप्रार्थी के भाई आशाराम का भी मकान है। अप्रार्थी के भाई आशाराम को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार अप्रार्थी बुधाराम के खातेदारी में दर्ज खेत खसरा नं. 174/1456 की दक्षिणी माठ पर भी पक्की दीवार वर्षो पुरानी है। प्रार्थी के खेत में जाने का रास्ता पूर्व दिशा से होकर रहा था। जिसे बंद करने पर प्रार्थी पड़ौसी खसरा नं. 172 के खातेदार शैतानराम को अपना खेत हासिल पर देता रहा है तथा कभी खातेदार शैतानराम के साथ सामलाती खेती करता रहा है। शैतानराम प्रार्थी का भाई होने से प्रेमवश खेती करते है, व अन्यों से खेती कराते है। किन्तु अप्रार्थीगण के खेतों के दक्षिणी माठ पर रास्ता होना गलत कथन किया है, क्योंकि दक्षिणी माठ पर अप्रार्थीगण के मकान, बाड़ा पशुशाला टांके आदि पुराने बने हुये है तथा करीब 594 फीट लम्बी दीवार है जो करीब 6–7 फुट है। जिसे तोड़कर रास्ता देना संभव नहीं है न ही विधि सम्मत है। मौके पर अप्रार्थीगण के खेतो की दक्षिणी माठ पर रास्ता नही हेतो फिर बाकी कथनों का कोई महत्व नहीं है दक्षिणी माठ पर लम्बी दीवार 594 फीट तक खड़ी है तथा दीवार के दक्षिण कमें किशनलाल सोनी का खेत है। पिछले 2 वर्षो से प्रार्थी किशनलाल सोनी के खेत से आता जाता रहा है। अतः रास्ता को नक्शा में तरमीम करने का आदेश नियमित वाद के जरिये या धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के तहत ऐसा आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

चूंकि हस्तगत प्रकरण अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधीनियम 1955 के तहत है, जिसमें तहसीलदार जायल से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जानी अपेक्षित होती है जो कि दिनांक 26.06.2020 को प्राप्त होकर सामिल मिसल है। उक्त प्रार्थना पत्र संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) का होने से वकुलाय की सहमति व निवेदन पर हस्तगत प्रकरण में बहस अन्तिम के निवेदन पर बहस वकुलाय सुनी गई।

09/02/2021

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 173 रकबा 22.06 बीघा मौजा–लूणसरा तहसील–जायल में आया हुआ है। उक्त खेताय के पश्चिमी तरफ खसरा नं. 174/1456 रकबा 12 बीघा अप्रार्थी बुधाराम, खसरा नं. 175/1443 अप्रार्थी भूराराम की खातेदारी के आये हुये है। खसरा नं. 175/1443 के पश्चिमी तरफ कटाणी रास्ता लगता है। खसरा नं. 173 में प्रवेश हेतु खसरा नं. 174/1456, 175/1473 में से मार्क ए से बी एवं सी से डी रास्ता 16 फुट चौड़ाई के रास्ते से ही प्रार्थी अपने खेत में आते जाते रहे है। परन्तु अप्रार्थीगण व उनके परिवार वाले रास्ता में आने–जाने बाबत् रूकावट पैदा कर रहे है, जबकि प्रार्थीगण पीढ़ियों से उक्त रास्ते से अपने खेत में आते जाते व गाड़ी छकड़ी, ट्रेक्टर, पशुधन इत्यादि लाते व ले जाते रहे है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता पर पक्का निर्माण, बैचान करने एवं बंद करने की धमकियां दे रहे है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य परस्पर सहमति से तय नहीं होने के कारण तथा प्रार्थी के खेत खसरा नं. 173 में प्रवेश हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने व कृषि कार्य के लिए आने जाने तथा आवश्यक कृषि संसाधन यथा–ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाने व ले जाने के लिए रास्ते की आत्यान्तकि आवश्यकता होने पर प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसके खातेदारी के खेत में कृषि कार्य हेतु आने जाने नहीं देगें तो अपार नुक्सान होगा, क्योंकि प्रार्थी यदि काश्त नहीं करेगें तो भूखे मर जायेगें। जिसकी भरपाई भी नहीं होगी। अतः प्रार्थी को खातेदारी खेत खसरा नं. 173 में प्रवेश हेतु माफिक नजरी नक्शानुसार 16 फीट मार्क ए से बी एवं सी से डी चौड़ाई का रास्ता स्वीकार किया जावे। उक्त रास्ते के एवज में नियमानुसार प्रतिकर राशि डीएलसी दर के अनुसार प्रार्थी अप्रार्थी को भुगतान करने में सहमत है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा दी गई दलीलों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र/आपत्तियों में बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित पंक्ति 7 से 10 माफिक रास्ता पीढियों से होने का कथन किया है, यानि चिरभोगसिद्ध क्षेत्राधिकार का प्रकरण होना स्वीकार है जो वाद सिविल न्यायालय का अधिकार का है। प्रार्थी एक तरफ रास्ता की मांग करता है तथा दूसरी तरफ रास्ता की मांग धारा 251क के तहत करता है जो तर्क संगत नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते से कभी भी नहीं निकले है क्योंकि खसरा नं. 175/1443 के दक्षिणी माठ पर करीब 600 फुट लम्बी पत्थरों की दीवार है जो 5–6 फुट उंची है तथा खसरा नं. 175/1443 रकबा 4.12 बीघा के पश्चिमी दक्षिणी कोने पर अप्रार्थी भूराराम का पक्का मकान व बाड़ा मौजूद है, जो मकान व बाड़ा एक चार दीवारी से घिरे हुये है जिस बाड़ा व मकान के पूर्व दिशा में बुधाराम के रकबे तक पक्की दीवार

09/02/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

है। खसरा नं. 175/1443 के खातेदार से साजिश कर अप्रार्थी भुराराम के मकान को तुड़ाने की धमकी का सहारा लेकर अप्रार्थी मात्र परेशान व भयभीत करने तथा डराकर खेत खरीदने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। पूर्व में रास्ता खसरा नं. 176 मे से चलता था जो रास्ता किशनलाल सोनी ने बंद कर दिया है अप्रार्थी के मकान के अलावा खसरा नं. 175/1443 में 30 गुणा 32 फीट का बड़ा कमरा, टांका तथा अप्रार्थी के भाई आशाराम का भी मकान है। अप्रार्थी के भाई आशाराम को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार अप्रार्थी बुधाराम के खातेदारी में दर्ज खेत खसरा नं. 174/1456 की दक्षिणी माठ पर भी पक्की दीवार वर्षो पुरानी है। प्रार्थी के खेत में जाने का रास्ता पूर्व दिशा से होकर रहा था। जिसे बंद करने पर प्रार्थी पड़ौसी खसरा नं. 172 के खातेदार शैतानराम को अपना खेत हासिल पर देता रहा है तथा कभी खातेदार शैतानराम के साथ सामलाती खेती करता रहा है। शैतानराम प्रार्थी का भाई होने से प्रेमवश खेती करते है, व अन्यों से खेती कराते है। किन्तु अप्रार्थीगण के खेतों के दक्षिणी माठ पर रास्ता होना गलत कथन किया है, क्योंकि दक्षिणी माठ पर अप्रार्थीगण के मकान, बाड़ा पशुशाला टांके आदि पुराने बने हुये है तथा करीब 594 फीट लम्बी दीवार है जो करीब 6–7 फुट है। जिसे तोड़कर रास्ता देना संभव नहीं है न ही विधि सम्मत है। मौके पर अप्रार्थीगण के खेतो की दक्षिणी माठ पर रास्ता नही हेतो फिर बाकी कथनों का कोई महत्व नहीं है दक्षिणी माठ पर लम्बी दीवार 594 फीट तक खड़ी है तथा दीवार के दक्षिण कमें किशनलाल सोनी का खेत है। पिछले 2 वर्षो से प्रार्थी किशनलाल सोनी के खेत से आता जाता रहा है। अतः रास्ता को नक्शा में तरमीम करने का आदेश नियमित वाद के जरिये या धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के तहत ऐसा आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली में प्रार्थना पत्र, जवाब आपत्ति एवं तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.06.2020 का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने स्वय के खातेदारी खेत खसरा नं. 173 के लिए अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 174/1456, 175/1443 में से रास्ता दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क की मंशानुसार किसी कृषक खातेदार की खातेदारी की कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता नहीं होने व कृषक खातेदार को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध होने की स्थिति में ही निकटतम कटाणी रास्ते से ही अप्रार्थी खातेदार की उपभोग में आने वाली भूमि के एवज में डी.एल.सी दर की दुगनी प्रतिकर राशि भुगतान पश्चात्

09/02/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

नियमानुसार रास्ता स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी खेत खसरा नं. 173 में अन्य खेताय व अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 174/1443 व 174/1456 में से अप्रार्थीगण की सहमति से आना जाना कर रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी मौके पर राजी है तथा रास्ता मौके पर चालू अवस्था में अप्रार्थी द्वारा बंद नहीं किया गया है तथा पक्षकारान् के मध्य में रास्ते को लेकर आने जाने में किसी प्रकार का विवाद नहीं है, केवल रास्ता कटाणी घोषित कराने में असहमत है। अतः प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क की मंशानुसार मुख्यतः बिन्दू रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव को सिद्ध करने में असफल रहने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है।

— : : आदेश : : —

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थी द्वारा ग्राम लूणसरा के खातेदारी खेत खसरा नं. 173 जाने के लिए 16 फीट चौड़ाई का रास्ता हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव को प्रार्थी सिद्ध करने में असफल रहने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 09/02/2024 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

09/02/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर

सहायक कलेक्टर एस.डी.ओ. जायल